भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *337

जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

इरादतन ऋण ना चुकाने वाले

†*337. श्री कालिपद सरेन खेरवालः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से अब तक वर्ष-वार इरादतन बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की संख्या और ऐसे ऋण की राशि (रुपये में) कितनी है;

(ख) वर्ष 2014 से अब तक इरादतन ऋण ना चुकाने वाले शीर्ष दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा लिए गए ऋण की राशि (रुपये में) कितनी है;

(ग) क्या इरादतन ऋण ना चुकाने वाले व्यक्ति बैंकों के साथ आपसी समझौता करके ऋण का निपटान कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“इरादतन ऋण ना चुकाने वाले’’ के संबंध में माननीय सांसद श्री कालिपद सरेन खेरवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *337 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के समाधान हेतु मानक निदेशों के अंतर्गत ऋणदाताओं को सलाह दी है कि वे मासिक आधार पर सभी ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को इरादतन चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करें और सीआईसी को इसे अपनी संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित करना अपेक्षित है। इसका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत और विनियमित सीआईसी के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है और इसे एक्सेस किया जा सकता है:

(i) suit.cibil.com,
(ii) suit.experian.in,
(iii) equifax.co.in, और
(iv) crifhighmark.com

आरबीआई ने यह सूचित किया है कि ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 27.2.2026 तक, 2014 से 2025 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं (वाद-दायर और गैर-वाद दायर किए गए) के ब्यौरे के साथ-साथ संबंधित कुल बकाया राशि और शीर्ष दस इरादतन चूककर्ताओं के नाम के साथ-साथ सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट की गई राशि का ब्यौरा अनुबंध-1और अनुबंध-2 में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोई बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता निपटान कर सकता है। इरादतन चूककर्ताओं को समझौता निपटान करने की अनुमति देने के पीछे प्राथमिक विनियामकीय उद्देश्य ऋणदाताओं को बिना किसी देरी के चूक वाली धन राशि की वसूली करने के लिए कई अवसर सृजित करने में सक्षम बनाना है। कीमती समय की हानि के अलावा, अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप आस्ति मूल्य में गिरावट आती है जो अंतिम वसूली में बाधा डालती है। समझौता निपटान को आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 के अंतर्गत एक वैध समाधान तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, जब इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से वसूली की बात आती है, तो ऋणदाताओं के लिए अपेक्षाएं अलग नहीं होती हैं। कानूनी कार्यवाही के कारण समाधान के बिना ऋणदाताओं के तुलन पत्र पर इस तरह के एक्सपोजर को जारी रखने से ऋणदाताओं के धन को अनुत्पादक आस्ति में बंद कर दिया जाता है, जो एक वांछनीय स्थिति नहीं है। इसके अलावा, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के खिलाफ चल रही या शुरू की जाने वाली आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के अपराधी सजा-मुक्त न हों। साथ ही, अधिकार के रूप में उधारकर्ताओं के लिए समझौता निपटान उपलब्ध नहीं है; बल्कि यह एक विवेक है जिसका प्रयोग ऋणदाताओं द्वारा उनके वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत देनदारों के संबंध में समझौता निपटान के प्रस्तावों को ऋणदाताओं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है।

समझौता निपटान के अध्यधीन उधारकर्ताओं के संबंध में, बैंक द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रदान करने से पहले संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा निर्धारित एक प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग पीरियड) होगी। इसलिए, आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का समाधान) निर्देश, 2025, दिनांक 28.11.2025 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इरादतन चूककर्ता के साथ किसी भी

समझौता निपटान को आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

इसके अलावा, इरादतन चूक की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। ऐसे उपायों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित शामिल हैः-

(1) बैंक द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करना

(i) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर बैंकों को यह जांच करनी है कि क्या लागू कानून के उपबंधों के अंतर्गत इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना आवश्यक है।

(ii) ऐसे मामलों में जहां आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है, इरादतन चूककर्ताओं (एलडब्ल्यूडी) की सूची से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाना इरादतन चूककर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए पक्षपात पूर्ण नहीं होगा।

(2) बैंक एक गैर-भेदभावपूर्ण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेंगे जो स्पष्ट रूप से ऐसे मानदंड निर्धारित करते हैं जिसके आधार पर वर्गीकृत और इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित व्यक्तियों के फोटो प्रकाशित किए जाएंगे।

(3) बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता या किसी भी संस्था जिसके साथ इरादतन चूककर्ता संबद्ध है। को कोई अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी इसके अलावा, इरादतन चूककर्ताओं और प्रमोटर्स/निदेशकों के रूप में इरादतन चूककर्ता वाली कंपनियों को धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

(4) इरादतन चूककर्ता या किसी भी संस्था जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा है, के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधा पर रोक ऋणदाताओं द्वारा एलडब्ल्यूडी से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाए जाने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

(5) ऋणदाताओं द्वारा एलडब्ल्यूडी से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाए जाने के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए इरादतन चूककर्ता या किसी ऐसी संस्था जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, को नए उद्यम शुरू करने के लिए बैंक द्वारा कोई ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

(6) इरादतन चूककर्ता या कोई भी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, क्रेडिट सुविधा के पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होगा। एलडब्ल्यूडी से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के बाद, इरादतन चूककर्ता या कोई भी संस्था जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 में निहित शर्तों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र होगा।

अनुबंध-1

'इरादतन ऋण ना चुकाने वाले' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *337

27.2.2026 तक इरादतन चूककर्ताओं का विवरण

(राशि, लाख रुपये में)

की स्थिति के अनुसार	**25 लाख रुपये और उससे अधिक के इरादतन चूककर्ताओं की कुल संख्या**	**25 लाख रुपये और उससे अधिक इरादतन चूककर्ताओं के पास कुल बकाया राशि**
31.3.2014	5,076	39,36,925
31.3.2015	7,574	69,80,854
31.3.2016	9,070	89,88,924
31.3.2017	9,675	1,07,66,950
31.3.2018	11,259	1,43,93,575
31.3.2019	12,140	1,93,80,637
31.3.2020	12,822	2,18,72,788
31.3.2021	13,845	2,62,25,350
31.3.2022	16,005	3,07,73,463
31.3.2023	17,968	3,60,47,191
31.3.2024	18,876	3,64,92,783
31.3.2025	18,318	3,83,26,453

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड

नोट:

(1) उपर्युक्त रिपोर्ट में 25 लाख रुपये और उससे अधिक के इरादतन चूककर्ताओं की कुल संख्या और राशि शामिल है, जो क्रेडिट संस्थानों द्वारा रिपोर्ट की गई है और रिपॉजिटरी में सफलतापूर्वक अंतर्ग्रहित किया गया है (वाद दायर और गैर-वाद दायर किया गया)।

(2) इरादतन चूककर्ताओं के बारे में उपर्युक्त जानकारी मार्च 2014 से मार्च 2025 तक समाप्त अवधि के लिए वाद दायर और गैर-वाद दायर रिपॉजिटरी से 27 फरवरी, 2026 तक निष्कर्षित की जाती है। निष्कर्षण तिथि के बाद डेटा में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया था।

(3) 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के चूककर्ताओं (वाद दायर न किए गए) और 25 लाख रुपए और उससे अधिक के इरादतन चूककर्ताओं (गैर-वाद दायर किए गए) की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक/सीआईसी को देने की आवश्यकता भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 27-06-2014 के परिपत्र के जारी होने के बाद ही लागू हुई। तदनुसार, मार्च, 2014 के वर्ष की सूचना ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड के पास उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध-2

'इरादतन ऋण ना चुकाने वाले चूककर्ताओं' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*337

27.2.2026 की स्थिति के अनुसार शीर्ष दस इरादतन चूककर्ताओं का नाम एवं कुल राशि

(राशि, लाख रुपये में)

31.3.2014# की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,89,030
2	बीटा नेफ्थोल	69,240
3	एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड	52,003
4	डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड	50,154
5	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	47,645
6	पारेख प्लेटिनम लिमिटेड	44,852
7	एक्सएल एनर्जी लिमिटेड	41,184
8	रैंक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	39,591
9	एनएएफईडी	38,377
10	एगनाइट एजुकेशन लिमिटेड (पूर्व में टेलीडेटा इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड)	33,518

31.3.2015 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,25,237
2	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड	1,04,618
3	बीटा नेफ्थोल	77,431
4	फॉरएवर प्रेशियस ज्वैलरी एंड डायमंड्स लिमिटेड	74,798
5	एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल)	70,193
6	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी	63,949
7	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	59,905
8	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड	54,926
9	डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड	52,734
10	रैंक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	46,895

31.3.2016 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,48,547
2	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड	1,33,434
3	किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड	1,20,140
4	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड	1,04,587
5	बीटा नेफ्थोल	99,684
6	डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड	93,668
7	एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड	83,423
8	फॉरएवर प्रेशियस ज्वैलरी एंड डायमंड्स लिमिटेड	80,565
9	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	73,609
10	किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड	69,550

(राशि, लाख रुपये में)

31.3.2017 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड	2,32,279
2	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,36,337
3	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड	1,33,434
4	बीटा नेफ्थोल	1,19,939
5	आरईआई एग्रो लिमिटेड	1,05,430
6	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड	1,04,551
7	डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड	93,581
8	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	92,897
9	एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड	83,423
10	फॉरएवर प्रेशियस ज्वैलरी एंड डायमंड्स लिमिटेड	80,565

31.3.2018 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	1,87,490
2	कुडोस केमी लिमिटेड	1,68,368
3	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,65,657
4	बीटा नेफ्थोल	1,44,304
5	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड	1,33,442
6	किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड	1,21,808
7	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	1,17,240
8	आरईआई एग्रो लिमिटेड	1,15,570
9	किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड	1,10,584
10	विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड	1,04,551

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड	4,63,352
2	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	1,87,490
3	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,87,220
4	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के प्रमोटर/निदेशक	1,82,376
5	कुडोस केमी लिमिटेड	1,73,710
6	बीटा नेफ्थोल	1,73,613
7	रूची सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1,62,398
8	एमटेक ऑटो लिमिटेड के निदेशक और प्रमोटर	1,57,448
9	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	1,47,961
10	मेसर्स गिली इंडिया लिमिटेड	1,44,543

(राशि, लाख रुपये में)

31.3.2020 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	गीतांजलि जेम्स लिमिटेड	5,00,704
2	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	2,29,294
3	बीटा नेफ्थोल	2,09,021
4	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	1,86,850
5	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के प्रमोटर/निदेशक	1,82,376
6	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,82,080
7	कुडोस केमी लिमिटेड	1,73,710
8	एमटेक ऑटो लिमिटेड के निदेशक और प्रमोटर	1,57,448
9	गिली इंडिया लिमिटेड	1,44,543
10	स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	1,28,042

31.3.2021 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	गीतांजलि जेम्स लिमिटेड	5,49,148
2	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	3,02,911
3	बीटा नेफ्थोल	2,51,411
4	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	2,35,812
5	शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड	2,34,155
6	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2,06,785
7	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के प्रमोटर/निदेशक	2,06,774
8	एमटेक ऑटो लिमिटेड के निदेशक और प्रमोटर	1,78,452
9	कुडोस केमी लिमिटेड	1,73,658
10	कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड	1,68,463

31.3.2022 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	गीतांजलि जेम्स लिमिटेड	6,17,353
2	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	3,02,531
3	बीटा नेफ्थोल	3,02,457
4	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	2,97,603
5	यूनिटेक लिमिटेड	2,67,692
6	स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	2,28,008
7	शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड	2,23,780
8	ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2,16,617
9	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्ववर्ती प्रमोटर/निदेशक	2,06,774
10	एलाइड स्टील्स लिमिटेड	2,04,240

(राशि, लाख रुपये में)

31.3.2023 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	गीतांजलि जेम्स लिमिटेड	6,17,352
2	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व निदेशक/गारंटर/जीसीजीएस	3,81,082
3	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	3,75,586
4	बीटा नेफ्थोल	3,63,862
5	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	3,31,808
6	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	2,87,383
7	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व निदेशक	2,82,710
8	यूनिटेक लिमिटेड	2,67,692
9	स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	2,26,292
10	शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड	2,23,778

31.3.2024 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	गीतांजलि जेम्स लिमिटेड	6,22,879
2	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	4,74,303
3	बीटा नेफ्थोल	4,37,946
4	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व निदेशक/गारंटर/जीसीजीएस	3,81,082
5	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	3,31,808
6	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	2,84,583
7	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व निदेशक	2,82,710
8	रैंक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2,29,047
9	स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	2,26,292
10	शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड	2,23,778

31.3.2025 की स्थिति के अनुसार		
क्र.सं	**उधारकर्ता का नाम**	**कुल राशि**
1	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	6,69,530
2	गीतांजलि जेम्स लिमिटेड	6,23,655
3	बीटा नेफ्थोल	5,26,848
4	राकेशकुमार कुलदीपसिंह वधावन	4,29,123
5	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व निदेशक/गारंटर/जीसीजीएस	3,81,082
6	रजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड	3,26,000
7	गिल्ट पैक लिमिटेड	3,08,071
8	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	2,84,583
9	रैंक इंडस्ट्रीज लिमिटेड।	2,65,504
10	हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2,54,093

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड

नोट:

(1) शीर्ष 10 उधारकर्ताओं का निर्धारण प्रत्येक क्रेडिट संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए उधारकर्ता के नामों के आधार पर किया जाता है। विभिन्न संस्थानों द्वारा इन नामों की रिपोर्ट करने के तरीके में भिन्नता शीर्ष 10 उधारकर्ताओं की पहचान करने में अंतर या विसंगतियां पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए: राकेश कुमार और कुमार राकेश को बकाया उधारकर्ता स्तर पर पहुंचने के लिए दो अलग-अलग उधारकर्ता माना जाता है।

(2) वाद-दायर और गैर-वाद दायर दोनों रिपॉजिटरी में परिलक्षित कुल बकाया राशि (लाख रुपये में) के आधार पर, 2014 से 2025 तक प्रत्येक वर्ष के लिए 31 मार्च तक शीर्ष 10 इरादतन चूककर्ताओं के साथ प्रत्येक ऋण संस्थान द्वारा रिपोर्ट किए गए उधारकर्ता के नामों के आधार पर संकलित किया गया है।

(3) इरादतन चूककर्ताओं के बारे में उपर्युक्त जानकारी मार्च 2014 से मार्च 2025 तक समाप्त अवधि के लिए वाद दायर और गैर-वाद दायर रिपॉजिटरी से 27 फरवरी, 2026 तक निष्कर्षित की गई है। निष्कर्षण तिथि के बाद डेटा में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया था।

(4) #1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के चूककर्ताओं (वाद दायर न किए गए) और 25 लाख रुपए और उससे अधिक के इरादतन चूककर्ताओं (गैर-वाद दायर किए गए) की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक/सीआईसी को देने की आवश्यकता भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 27-06-2014 के परिपत्र के जारी होने के बाद ही लागू हुई। तदनुसार, मार्च, 2014 के वर्ष की सूचना ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड के पास उपलब्ध नहीं है।
